चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Directorate of Medical Education and Training
Uttar Pradesh , Lucknow.

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग–2020

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG Counseling -2020

विवरण पुस्तिका (Brochure)

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के

एम.बी.बी.एस.तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम

(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)

Government/Private Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

> Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked from original documents at the time of document verification and admission in State Medical Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website https://upneet.gov.in & www.updgme.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.

For any communication related to UP NEET UG 2020 Please email on given mail id below *neetcounselingup@gmail.com*

INDEX

S. No.	Subject	Page No.
1	Important Dates	3-4
2	Important Information	4
3	Eligibility	4-8
4	Registration & Document Verification	8-10
5	Security Fee	10-11
6	Counseling Process	12-13
7	Admission Process & Nodal Centers	13-14
8	Resignation	14
9	Reservation	15-16
10	Service Bond	17
11	List of Medical & Dental Colleges	17-20
12	Annexures (Number)	6

Help line Number 07897451786
website for information: https://upneet.gov.in, www.updgme.in,
website for Online counseling: https:// upneet.gov.in

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances)

शासनादेश संख्या–1657/71–4–2020–07/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) में प्रवेश के लिए नीति–निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु–17 "अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित विशेष अधिकारी का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:–

डा0 शिशिर धर
विशेष अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ मोबाईल नम्बर–9454019386
कार्यालय दूरभाष नम्बर–0522-2287653
ई–मेल आई0डी0– neetcounselingup@gmail.com
(कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06 बजे तक)

नोट– वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।

यू०पी० नीट यू०जी० 2020 की कांउसिलिंग की महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रथम चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय–सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	05 नवम्बर, 2020 अपरान्ह 04 बजे से 08 नवम्बर, 2020 तक
पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखो का सत्यापन तथा ऑफ–लाइन धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	06 नवम्बर, 2020 से 09 नवम्बर, 2020
ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि	06 नवम्बर, 2020 से 10 नवम्बर, 2020
पंजीकृत अभ्यर्थियो सूची जारी करने की तिथि	09 नवम्बर 2020
ऑन लाईन कांउसिलिंग के परिणाम की घोषणा	11/12 नवम्बर, 2020
आवंटित अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	12 नवम्बर, 2020 से 18 नवम्बर, 2020
प्रवेश लेने की तिथि	12,13,17 व 18 नवम्बर, 2020
द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय–सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	20 नवम्बर, 2020 अपरान्ह 04 बजे से 23 नवम्बर, 2020 अपरान्ह 02 बजे तक
पंजीकृत अभ्यर्थियो की सूची जारी करने की तिथि	23 नवम्बर, 2020
नये पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा ऑफ–लाइन धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	24 नवम्बर, 2020 से 27 नवम्बर, 2020
ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि	07 दिसम्बर 2020 से 08 दिसम्बर 2020
ऑन लाईन कांउसिलिंग के परिणाम की घोषणा	09/10 दिसम्बर 2020
आवंटित अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि	10 दिसम्बर 2020 से 14 दिसम्बर, 2020
मॉपअप राउण्ड की समय–सारिणी (पृथक से जारी की जायेगी)	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	16 दिसम्बर 2020 अपरान्ह 2:00 बजे से 18 दिसम्बर, 2020
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	19 दिसम्बर, 2020
राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु कांउसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु कांउसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु कांउसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो को उपलब्ध करायी गयी 1:10 की सूची के अभ्यर्थियों की प्रवेश की अन्तिम तिथि	
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजो की रिक्त सीटों के सापेक्ष 1:10 के अनुपात में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि	
सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	15 दिसम्बर, 2020

Any change in date of online counseling will be announced by the Director General Medical Education & Training, UP Lucknow, and will be displayed on the website अद्यतन सूचना हेतु वेबसाईट ***https://upneet.gov.in & www.updgme.in*** का समय–समय पर अवश्य अवलोकन करें।

Important Dates and other Information of U.P. NEET UG-2020 Counseling.

Time Table for First Round Counseling

Date of Online Registration	From 05th November (4:00 PM onwards) to 08th November, 2020
Document Verification & Submission of Security Fee	From 06th November to 09th November, 2020
Date of Online Choice filling	From 06th November to 10th November, 2020
List of Registered Candidates	09th November, 2020
Declaration of Seat Allotment Result	11th/12th November 2020
Date for Downloading Allotment Letter	From 12th November to 18th November, 2020
Date of Admission	12th,13th,17th & 18th November, 2020

Time Table for Second Round Counseling

Date of Online Registration	From 20th November (4:00 PM onwards) to 23rd November, 2020 (upto 2:00 PM)
List of Registered Candidates	23rd November, 2020
Document Verification & Submission of Security Fee	From 24th November to 27th November, 2020
Date of Online Choice filling	From 07th December to 08th December , 2020
Declaration of Seat Allotment Result	10th December , 2020
Date for Downloading Allotment Letter	From 10th December to 14th December , 2020

Time Table for MOP-UP Round (Dates will be announced separately)

Date of Online Registration	From 16th December to 18th December , 2020
List of Registered Candidates	19th December , 2020
Date of Onspot Admission in Govt. Medical/Dental College	
Date of Onspot Admission in Pvt. Medical College	
Date of Onspot Admission in Pvt. Dental College	
1:10 List forwarded to Pvt. Medical College's	
1:10 List forwarded to Pvt. Dental College's	
Commencement of session	15th December , 2020

Any change in date of online counseling will be announced by the Director General Medical Education & Training, UP Lucknow, and will be displayed on the website.
For updated information see time to time website *https://upneet.gov.in & www.updgme.in* .

Important Information:

1. Only online registration will be done as per the schedule.
2. Only online payment will be accepted.
   - As a non-refundable registration fee of Rs. 2,000/- + Bank Transaction Charges common for both Govt. & Private Medical/Dental Colleges/Institute/Stae University (1st & 2nd Round)
3. Only offline payment will be accepted.
   - Security Fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs. 30,000/- for Govt. Medical/Dental Colleges/Institutes/State Universites.
   - Security fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs. 2,00,000/- for Pvt. Medical Colleges/Institutes/State Universites.
   - Security fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs. 1,00,000/- for Pvt. Dental Colleges/Institutes/State Universites.
4. Registration will not be completed till online payment has been made.
5. Online registration/security fee submission/document verification does not ensure seat allocation.
6. Only **CTS** Bank DD in the favour of Director General Medical Education & Training, Uttar Pradesh, Lucknow, Uttar Pradesh, Payable at Lucknow.

6. If security fee not submitted by candidate then candidate will not be permitted for document verification and choice filling.

I- अर्हतायें (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल/विश्वविद्यालय/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएं:–

- ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू0जी0 2020 की परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनो परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाए उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या:–157/तीन–2003–77(11)83, दिनांक 18.02.2003 में वर्णित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को डोमेसाइल/सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र डाक्यूमेन्ट सत्यापन एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। **संलग्नक–1**
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नही होगा।

II-शैक्षिक अर्हतायें (Academic Qualification as per **NEET UG 2020 Brochure**)

अर्हताएं(NEET UG- 2020 (NTA) के ब्रोशर के अनुसार)

CHAPTER 4- ELIGIBILITY ANDQUALIFICATIONS

4.1) Eligibility to appear in NEET (UG) –2020

Eligibility for appearing in **NEET (UG)** is as per related Regulations is as follows: -

i. He/she has completed age of 17 years atthe time of admission or will complete that age on or before 31 December of the year of his/her admission to the first year **Undergraduate Medical Courses .**

ii. The upper age limit for **NEET (UG)** is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC-NCL category and PwDCandidates.

NOTE: The upper age limit of 25 years as prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 vide amendment dated 22.01.2018, was challenged befo re the Hon'ble High Court of Delhi and the said upper age limit had been upheld vide judgement dated 11.05.2018 in W.P. No.1813/2018 &other connected matters. The said judgement dated 11.05.2018 was challenged before the Hon'ble Supreme Court of India in SLP (C) No. 14320/2018 & other connected matters, when vide intrim order dated 29.11.2018, candidates who are 25 years and above were provisionally permitted to appear in NEET-UG-2019 subject to the final outcome of the said matters. The Supreme Court there after, vide order dated 29.04.2019 had permitted the candidates to appear provisionally in the Counselling subject to the adjudication of the matters. The aforesaid matters are pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India and the authorities shall abide by any order that may be passed forNEET-UG-2020.

Thus, the candidates above 25 years are provisionaly permitted to appear and their condidature is subject to the outcome of pending Petitions before the Hon'ble Supreme Court.

Accordingly, the eligibility conditions regarding age limit have been revised as under:

For Candidates of General (UR)/General-EWS	born on or before 31.12.2003
For Candidates of SC/ST/OBC-NCL/PwD Category	

iii. Indian Citizens/Overseas Citizens of Indiain tending to pursue Undergraduate Medical Courses from a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify **NEET (UG).**

4.2) Eligibility for seat sunder the control of States/Deemed Universities/Central Universities/ESIC and AFMC including Delhi University (DU), BHU & AMU/central pool quota, AIIMS,JIPMER.

i. Indian Nationals, Non Resident Indians **(NRIs)**, Overseas Citizen of India **(OCI)**, Persons with Indian Origin **(PIO)** and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical/Dental/Ayurveda/Siddha/Unani/Homeopathy Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and the Government of India as the case maybe.

ii. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical /Dental/ Ayurveda / Siddha/Unani/Homeopathy College/State.

iii. Not with standing any thing stated above, the eligibility criteria to appear in NEET(UG) shall also be applicable to the candidates desirous to take admission in Undergraduate Medical Courses in concerned INIs likeAIIMS.

4.3) Eligibility for 15% All India Quota Seats.

a) Indian Nationals, Non Resident Indians **(NRIs)**, Overseas Citizen of India **(OCI)**, Persons of Indian Origin **(PIO)** and Foreign Nationals are eligible for 15% All India QuotaSeats.

b) **Candidates from UT of J&K and Ladakh**

i. Students from UT of J&K and Ladakh are **not eligible** for 15% All India Quota seats as UT of J&K and Ladakh have opted out of All India Scheme since its inception. If they claim eligibility, they must submit **online Self Declaration** which will be generated and printed automatically alongwith confirmation page for the record and they need to present the same during counselling. The **Self-Declaration Form** is given in ***Appendix-III.***

ii. ***With regard to participation of UT of J&K and Ladakh in the All India Quota, it is informed that the erstwhile State of J&K had opted to stay out of the All India Quota Scheme since inception and as such the students of J&K were also not allowed to participate for admission in all India Quota seats. Now, with the coming into effect of the J&K Reorganization Act, 2019 and formation of UTs, the UT of J&K has been requested to consider for participation in the All India Quota. A decision is yet to be taken by the UT administration in this regard. How ever ,the UT of Ladakh does not have any medical college. Therefore, the decision of participation of UT of J&K will be conveyed in due course.***

iii. The Self Declaration Form submitted by candidate will be verified at the time of counselling. If the declaration is found to befal seat any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and **criminal proceedings** may be initiated against suchcandidates.

iv. Candidates from the UT of J&K and Ladakh can appear in **NEET (UG) 2020** for admission to Private Medical/Dental/Ayurveda/ Siddha/Unani/Homeopathy Colleges or any Private/Deemed University and AFMC, AIIMS, JIPMER subject to the fulfilment of respective eligibility conditions.

4.4) Qualifications and Qualifying Examination Codes

To be eligible for NEET (UG) – 2020, candidates need to refer to following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2020, whose result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the **Under graduate Medical Courses**, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of Counselling. Candidates who have appeare do rare appearing at the qualifying Examination with English, Physics, Chemistry and Biology as main subject and expect to pass the Examination with required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the Competitive Entrance Examination. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects and percentage ofmarks.
	OR
CODE: 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the corecourse for English as pre scribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee onEducation. *Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidatesshall not be eligible to appear for 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Further more, study of Biology/ Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible.** **The candidates who have passed 10+2 level with Biology as an additional subject will also be eligible for MBBS Entrance Examination (asper Hon'bleHigh Court Order No. 2341/-W/DHC/WRIT/D-1/2019 dated 14/09/2019 in the Writ Petition (C) No. 5773/2019.* If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the 12th Class under 10+2 scheme/intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/ Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him /her is considered to be equivalent to the 12th class under 10+2 scheme/intermediate scienceexamination. **(NOTE: The proviso in italics has been subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognised Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an additional Subject has been struckdown.The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidature of candidates in the NEET (UG)-2020 who have passed the qualifying examinations i.e. 10+2 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognised State Boards; or with Biology/Biotechnology as additional subject **shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed bythe Medical Council of India)***
	OR
CODE: 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
	OR
CODE: 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre- professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
	OR
CODE: 05	The first year of the three years' degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
	OR
CODE: 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.
	OR
CODE: 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided also that to be eligible for **NEET (UG) - 2020**, the candidate must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of *Regulation 4* on

Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018, in regulation 2 of Schedule 1, Schedule 2 & Schedule 3 of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 a same ndedin 2018 and in Sub-regulation (I) of Regulation 4 of the Homeopathy (DegreeCourses) Regulations, 1983 a samendedin 2018. inaddition, they must have go to rank in the merit list of **NEET (UG) - 2020** for admission to **Undergraduate MedicalCourses.**

- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward classe (NCL) s, the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology taken to gether in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved and General-EWS Candidates. In respect of PwD candidates as per NMC, CCIM and BoGCCH guidelines the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology)/Biotechnology taken together shall be 45% instead of50%.
- Provided further that the students who have received education abroad and wish to seek admission into medical colleges in India must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English with 50% marks in class 12 and their equivalency determined by Association of Indian Universities **(AIU)** as per regulations of the Medical Council of India and the concernedUniversity.
- The criteria for minimum qualifying marks to be eligible for admission to MBBS courses shall also be applicable to concernedINIs.

  ***Note:** In all other cases, the States/Institutes who have cut offs for eligibility other than those mentioned above, may follow their own criteria.*
- If a candidate does not fall with in the qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

***Note**:-*

- *The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a ScienceCollege.*
- *Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to Undergraduate MedicalCourses.*
- *The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE:07.*

III- पंजीकरण (REGISTRATION) :-

Online registration and registration fee

Candidates can apply online by visiting the website ***https://upneet.govt.in***

1. For registration candidate will use his/her **NEET UG-2020 Application No.** and **Roll No.** follow instructions on screen.
2. There after the candidate's NEET UG-2020 registration details will be displayed & Candidate will get registration number.
3. The candidate will make an online payment of Rs. 2,000/- (Rs. Two thousand only) after which SMS will be sent to his/her registered mobile no.
4. After successful payment candidate will generate registration slip & paste photograph.(Photo uploaded on NEET-2020 application form)
5. Registration fee is non refundable.
6. **Payment Mode- Debit card, Credit Card, Net Banking.**

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क–

- पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट ***http[s://upneet.govt.in*** पर लॉगिन करेंगे।
- अभ्यर्थी नीट यू0जी0 2020 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 प्रयोग करे एवं स्क्रीन पर दिये गये दिशा–निर्देशो का पालन करे।
- नीट यू0जी0 2020 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– प्रति अभ्यर्थी (दोनो चक्रो की काउंसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/– प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नही करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु रू0 2,000/– जमा कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए **https://upneet.gov.in** पर NEET Counseling-2020के लिंक को क्लिक करें एवं वहॉं दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।
- पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क, नॉन रिफण्डेबल (Non Refundable) है।

IV-अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification)–

अभ्यर्थी के द्वारा पंजीकरण करते समय अभिलेखो के सत्यापन के सम्बन्ध में विकल्प भरा जायेगा। विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल अभिलेखो के साथ सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रमाणित करायेगा। (At the time of registration candidate can chose document verification center as per his/her convenience, after this candidate should present with there following original docment at the document verification nodal center. Presence of candidate is mandatory)

1. नीट 2020परीक्षा प्रवेश पत्र (एन0टी0ए0) द्वारा जारी (NEET UG-2020 Exam entrance letter)
2. नीट 2020 परिणाम/रैंक पत्र (एन0टी0ए0) द्वारा जारी (NEET UG-2020 result)
3. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र (10th & 12th standard marksheet & certificate)
4. पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पास पोर्ट)
   (For ID Aadhar Card/Pan Card/Driving Licence/Pass port)
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र
   (Domicile certificate if applicable recently issued by designated athority)
6. आरक्षण के दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा) आरक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए यू0पी0 नीट यू0जी0–2020–21 हेतु जारी शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। (संलग्न–2 व 3)
7. ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिंटआउट(Online registration slip)
8. धरोहर धनराशि (security money) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
   (Only CTS Bank DD in the favour of Director General Medical Education & Training, Uttar Pradesh, Lucknow, Uttar Pradesh, Payable at Lucknow.)
   - रू0 30,000/–(तीस हजार मात्र) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कॉलेज की सीटो के लिए।
   - रू0 2,00,000/–(दो लाख मात्र) निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीटो के लिए।
   - रू0 1,00,000/–(एक लाख मात्र) निजी क्षेत्र के डेन्टल कॉलेजों की सीटो के लिए।
   - धरोहर धनराशि (security money) अभिलेखों के सत्यापन (च्वाईस फिलिंग से पूर्व) के समय ही जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में काउंसिलिंग प्रक्रिया (Choice filling) मे प्रतिभाग नही कर पायेंगे।
   - डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो।

अभिलेखों के सत्यापन की तिथि एवं नोडल सेन्टर की सूची–

प्रथम चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 6 नवम्बर, 2020 से 09 नवम्बर, 2020 तथा द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु दिनांक 24 नवम्बर, 2020 से 27 नवम्बर, 2020 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा चयनित निम्नलिखित नोडल केन्द्रों पर स्वयं मूल अभिलेखों एवं धरोहर धनराशि (Security money) सहित उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

Name of Medical College /Institute/University

1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	King George Medical University, Lucknow
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	Dr. Ram Manohar Lohila Institute of Medical Sciences, Lucknow
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	G.S.V.M. Medical College, Kanpur
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	S.N. Medical College, Agra
5	एल0एल0आर0 मेडिकल कालेज, मेरठ	L.L.R.M. Medical College, Meerut
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी	M.L.B. Medical College, Jhansi
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	B.R.D. Medical College, Gorakhapur
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	M.L.N. Medical College, Prayagraj
9	उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	U.P.U.M.S. University, Saifai, Etawah
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	Government Medical College, Azamgarh
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	Government Medical College, Ambedkarnagar
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	Government Medical College, Kannauj
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	Government Medical College, Jalaun
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	Government Medical College, Saharanpur
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	Government Medical College, Banda
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ	Government Medical College Badaun
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या	Autonomous Government Medical College, Ayodhya
18	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, शाहजहाँपुर	Autonomous Government Medical College, Shahajanpur

यदि किन्ही कारणोंवश अभिलेखों के सत्यापन हेतु तिथि में परिवर्तन होता है तो उक्त की सूचना तथा अभिलेखो के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर किस तिथि को उपस्थित होना है, इसकी सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** तथा विभाग की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि यह समय–समय पर उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाईटों का अवलोकन करते रहे।

V-धरोहर धनराशि (Security Money)

- स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट हेतु रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजो की सीट हेतु रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेन्टल कॉलेजो हेतु रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो, को अभिलेखों के सत्यापन के समय नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनो ही प्रकार की सीटों हेतु कांउसिलिंग कराना चाहता है तो उसे मात्र रू0 2,00,000/– का ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

- राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियो द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा अथवा प्रवेश के बाद अपनी सीट से त्यागपत्र दे देते है तो उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नही होती है, द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात् वह अपनी धरोहर धनराशि (Security Money) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित सत्यापन केन्द्र से वापस प्राप्त करेंगे।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है **(त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)** तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 05.11.2020 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 02.11.2020 को सायं 04:00 बजे तक) पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कॉलेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कॉलेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षा शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा उन्होने ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती है तथा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से दो दिन पूर्व **(उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 05.11. 2020 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 02.11.2020 को सायं 04:00 बजे तक)** अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देकर सीट रिक्त की जाती है, तो उसके द्वारा जमा किया गया समस्त शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

<u>धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किये जाने के सम्बन्ध में-</u>

- नीट यू0पी0 यू0जी0 2020 के द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की कोई भी सीट आवंटित नही हुई है वह अपनी धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उसी नोडल सेन्टर से प्राप्त करेंगे जहाँ पर उनके द्वारा जमा किया गया है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो धरोहर धनराशि ऑनलाइन जमा करेंगें, उनकी धनराशि पंजीकरण के समय दिए गये बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनको राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की सीट आवंटित हो गयी है उनकी धरोहर धनराशि प्रवेश प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

VI-कांउसिलिंग प्रकिया:–

काउंसिलिंग प्रकिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। *च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा च्वाईस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नही होगा।*

अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश के पश्चात त्यागपत्र देने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। **द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी भाग लेते है तथा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग मे भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र से भर दिया जायेगा।

मॉपअप राउण्ड–

- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0–2020 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हे कोई आंवटन प्राप्त नही हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नही करनी होगी।
- माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0पी0 यू0जी0 2020 की प्रथम एवं द्वितीय कांउसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉप–अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते है।
- ***नीट यू0पी0 यू0जी0 2020 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से एम0बी0बी0एस आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।***
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रकिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना ***https://upneet.gov.in & www.updgme.in*** पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल (एम0बी0बी0एस0) सीटों हेतु रू0 2,00,000/– तथा निजी क्षेत्र की डेन्टल (बी0डी0एस0) सीटों हेतु रू0 1,00,000/– की **धरोहर धनराशि (Security Money)** का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नही जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही नोडल सेण्टर पर सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित **शिक्षण शुल्क** का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के शिक्षण शुल्क की सूची ***https://upneet.gov.in & www.updgme.in*** पर प्रदर्शित हो रही है।
- यदि मॉप–अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से

पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची मेरिट के आधार पर सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

- नीट यू0जी0 2020 की पूर्व कांउसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड मे प्रतिभाग कर सकेंगे। **बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।**
- मॉप–अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Reshuffeling) अनुमन्य नही होगा।
- *नीट 2020 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ऑल इण्डिया कोटा माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप–अप हेतु अर्ह नही होंगे।*

VII-ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में–

ऑल इण्डिया कोटा की द्वितीय कांउसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों की काउंसिलिंग मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के अनुपालन में स्टेट कोटा की सीटों में सम्मिलित करते हुए द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न की जायेगी।

VIII-प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट पर आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी एवं मूल अभिलेख भी जमा करने होगें।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो को निम्न नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी तथा आवंटित कालेज की फीस का बैंक ड्राफ्ट एवं मूल अभिलेख भी जमा करने होगें।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूची:–

क्र0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
		2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	
		3. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	2. सरस्वती डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ।
		4. इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज,लखनऊ	
		5. प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		7. मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, बाराबंकी।	4. बी0बी0डी0 कालेज आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ।
		8. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर।	5. चन्दा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर।	6. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर।
		10. सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव।	7. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।
		11.रामा मेडिकल कालेज, हापुड़।	
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	12. के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	8. के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा।
		13. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, आगरा।	9. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।
		14. कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा।	
		15. श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, बरेली।	
		16. राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली।	

		17. श्री वेंकटेश्वरा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गजरौला, अमरोहा।	
5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज मेरठ	18. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	10. सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		19. जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	11. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
		20. सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड़	12.आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।
		21. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	13. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, मुरादाबाद
		22. नेशनल कैपिटल रीजन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एन0सी0आर0), मेरठ।	14. तीर्थांकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज	23. हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी 24. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर		15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर
			16. डेन्टल कालेज, आजमगढ़
8	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	25. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	17. आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद
		26. स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	18. डी0जे0 कालेज आफ डेन्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर गाजियाबाद
		27. नोयडा इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्ध नगर।	19. श्री बांके बिहारी डेन्टल कालेज, गाजियाबाद
			20. स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा
			21. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, ग्रेटर नोएडा
9.	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।	28.रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली। 29. वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहाँपुर।	22. आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज, बरेली।

IX-त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में–

रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु–4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:–

4. After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filed by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.

➢ यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी अपनी प्रवेशित सीट से त्याग–पत्र देता है, तो ऐसी स्थिति में जमा सिक्योरिटी धनराशि एवं शैक्षणिक शुल्क से कटौती यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 हेतु जारी शासनादेश दिनांक 29.10.2020 के अनुसार की जायेगी।

X-आरक्षण (Reservation)

(क) नीट यू0जी0 2020 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक राजकीय मेडिकल/डेण्टल पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत् 'उर्ध्वाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित–जाति (S.C.) के अभ्यर्थी — 21 प्रतिशत
2. अनुसूचित–जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी — 02 प्रतिशत
3. अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी — 27 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी — 10 प्रतिशत

➢ **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।**

➢ *अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2020 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।*

➢ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कॉलेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों मे लागू होगा जिनमें एम0सी0आई0 द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्वि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	01 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत

नोट–

एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटे नीट की मेरिट सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियो द्वारा भरी जायेंगी। इस उद्देश्य के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट–ज में संलग्न है। यदि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियो की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

➢ *भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 के द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले केन्द्रो के नाम तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक–2 पर टंकित है।*

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:–

क्र0 सं0	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

(ग) शासनादेश संख्या–22सी0एम0(1)/26–3–13 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है : –

बिन्दु संख्या–3 – जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीगृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
बिन्दु संख्या–4 –यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही है, अपितु जैसा की ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनूसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नही है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।
(घ) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:–

- कांउसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उप श्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व कांउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियाँ) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप **(संलग्न–3)** पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप **(संलग्न–4)** में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के कम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2020 की कांउसिलिंग हेतु इस ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियो को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। **(संलग्न–5)** ***अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2020 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।***

XI-निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आरक्षण–

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओ में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

XII-बॉण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में–

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:–

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का स्वयं अवलोकन करे। **बाण्ड का प्रारूप (संलग्नक–6) पर टंकित है।**

XIII- कालेजों की सूची एवं सीट संख्या

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज(Govt. Medical College)

क्र0सं0	राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	ऑल इण्डिया कोटा	सेन्ट्रल पूल कोटा	स्टेट कोटा
1.	* किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ	250	37	3	210
2.	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	250	37	3	210
3.	* एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा	128	19	3	106
4.	एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज	200	30	3	167
5.	* एल.एल.आर.एम.मेडिकल कॉलेज, मेरठ	100	15	3	82
6.	एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी	150	23	3	124
7.	बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	150	22	3	125
8.	उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	200	30	—	170
9.	* राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	100	15	—	85

क्र0सं0	राजकीय मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	ऑल इण्डिया कोटा	सेण्ट्रल पूल कोटा	स्टेट कोटा
10.	* राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	100	15	—	85
11.	* राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	100	15	—	85
12.	* राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	100	15	—	85
13.	* राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	100	15	—	85
14	* राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	100	15	—	85
15	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	200	30	—	170
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ	100	15	—	85
17	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	100	15	—	85
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	100	15	—	85
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	100	15	—	85
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	100	15	—	85
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर	100	15	—	85
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	100	15	—	85
	योग —	2928	408	21	2469

* *शासनादेश दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ई0डब्लू0एस0 का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम0सी0आई0 द्वारा ई0डब्लू0एस0 के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त कालेजों में एम0सी0आई0 के द्वारा सीटों में वृद्धि नहीं की गयी। अतः ऐसे कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में ई0डब्लू0एस0 कोटा दिया जाना सम्भव नहीं है।*

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 हेतु जारी शासनादेश दिनांक 29.10.2020 के बिन्दु 10 के उपबिन्दु (ख) में अंकित राजकीय मेडिकल कालेजों क्रमशः अम्बेडकर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में आरक्षण व्यवस्था शासनादेश के अनुसार लागू होगी।
- राजकीय क्षेत्र में स्थापित मात्र एक डेण्टल कालेज(के0जी0एम0यू0) में भी डी0सी0आई0 द्वारा कोई सीट वृद्धि नहीं की गयी है। अतः ई0डब्लू0एस0 कोटा दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजकीय क्षेत्र का डेण्टल कालेज(Govt. Dental College)–

क्र0सं0	राजकीय मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	ऑल इण्डिया कोटा	सेण्ट्रल पूल कोटा	स्टेट कोटा
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ (दंत विज्ञान संकाय)	70	09	10	51

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज(Pvt. Medical College)–

क्र. सं	कालेज का नाम	सीटों की कुल संख्या
1	श्रीराममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	100
2	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	150
3	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	150
4	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर	100
5	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़	150
6	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	100
7	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	150
8	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	150
9	राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली	150
10	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	150
11	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	150
12	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	150
13	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
14	एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	150
15	तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	150
16	के0डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा।	150
17	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	150
18	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	150
19	एफ0एच0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फिरोजाबाद	150
20	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	150
21	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
22	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	150
23	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	150
24	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	150
25	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	150
26	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा	150
27	नेशनल कैपिटल रीजन (एम0एस0वाई0) मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ	150
28	यूनाइटेड इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज	150
29	नोयडा इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्धनगर।	150
	योग–	4100

निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज(Pvt. Dental College)–

क्र0 सं0	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1.	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	100
2.	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ डेन्टल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	100
3.	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	100
4.	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	100
5.	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद	100
6.	बी0बी0डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	100
7.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल स्टडीज एण्ड टेक्नोलाजी, मोदीनगर, गाजियाबाद	100
8.	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज, मुरादनगर, गाजियाबाद	100
9.	के0 डी0 डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा	100
10.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली	100
11.	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी	100
12.	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद	100
13.	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	100
14.	महाराणा प्रताप डेण्टल साइंसेज, कानपुर	100
15.	पूर्वान्चल इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर	100
16.	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद	100
17.	आई0टी0एस0 कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा	100
18.	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	100
19.	स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	100
20.	डी0जे0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक)	100
21.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
22.	तीर्थंकर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	100
	कुल योग–	2200

टिप्पणी : काउंसिलिंग के समय सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

सं0प्र0-01

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनाँक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " **नागरिकता** " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " **नागरिकता** " से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0रा0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्नुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी"** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।

(6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "**दि सिटीजनशिप एक्त्-1955**" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड़)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम ....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम ....

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)	आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा की जाये।

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)..

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पति का विवरण (यदि हो) ....
अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)..

पूरा वर्तमान पता ....
थाना ....तहसील ....
जनपद .... (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक) ....

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि ....
(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान ....
(ख) जन्म तिथि ....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)
8- स्थायी पता ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है (हॉ/नहीं)........................ (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए ....

मैं.................................. घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.. (जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर .... ग्राम/मोहल्ला.................................... पोस्ट.. जनपद.................................... उत्तर प्रदेश को मैं .... वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी.. वर्षों से उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी..
पुत्र/पुत्री/पत्नी .... की या उसके माता/पिता की ग्राम/मोहल्ला......................... तहसील ....
जिला...मैं अचल सम्पत्ति है।
दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 मैं से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
मकान नंबर ....
मुहल्ला .... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता ....
....

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 मे आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद मे सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्नेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था मे प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नही है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 मे यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सत्यापित - 02

Office of ADG (ME)
Email: adgme@nic.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT ODF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-11011/04/2020/05-MEC **Dated: 26 -10-2020**

NOTICE

Subject: Kind Attention Designated Disability Centres: To issue Disability Certificate to candidates for NEET UG Counselling 2020

As the UG Counselling for the current academic year 2020-21 is scheduled to start from 27th October, 2020 as per schedule uploaded on MCC website, the candidates will be approaching Disability Centres designated by MCC of DGHS (as per the list attached) across India to obtain Disability Certificate after getting their disability assessed at the centre in order to avail benefit of 5% PwD reservation in medical courses.

You are requested to arrange for issuing of Disability Certificates for 21 Benchmark Disabilities given under Rights of Persons with Disability Act 2016 as per MCI's guidelines, so that inconvenience is not caused to the candidates, desiring to avail the benefit of PwD reservation. The format of Disability has been enclosed below.

Notice posted on: 26-10-2020

ANNEXURE-I

- **List of Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016.**

S/No.	Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016	City/State
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital,	**New Delhi**
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (for Locomotor Disability only)	**Mumbai**
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research	**Kolkata**
4.	Madras Medical College	**Chennai**
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	**Mumbai, Maharashtra**
6.	Goa Medical College	**Goa**
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	**Thiruvananthapuram, Kerala**
8.	SMS Medical College	**Jaipur, Rajasthan**
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	**Chandigarh**
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	**Agartala/Tripura**
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	**Varanasi/ Uttar Pradesh**

CERTIFICATE OF DISABILITY

(As per MCI Gazette Notification No. MCI-18(1)/2018-Med./187262 dated 5th Feb, 2019/ 14th May, 2019 for admission to Medical Courses in All India Quota)

Certificate No.______________ Dated______________

Recent Passport Size Photograph of the candidate duly attested by the issuing authority

Name of the Designated Disability Centre (as per ANNEXURE):

____

This to certify that Dr. / Mr. / Ms.______________________________

Aged________ Years Son/ Daughter of Mr.______________________

R/o ____

____

NEET Roll No.______________, Rank No.______________, has the following

Disability (Name of the Specified Disability) ______________________(in percentage)

of______________ (in words) ________ (in Figures).

- **Please tick on the "Specified Disability"**
(Assessment may be done on the basis of Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section(ii), Ministry of Social Justice and Empowerment)

S/No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	**Physical Disability**	A. Locomotor Disability*	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. others such as Amputation, Poliomyelitis
		B. Visual Impairment*	a. Blindness b. Low Vision
		C. Hearing Impairment*	a. Deaf b. Hard of hearing
		D. Speech & Language Disability	a. Organic/ Neurological causes
2.	**Intellectual Disability**		a. Specific Learning Disabilities(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	**Mental Behaviour**		a. Mental illness
4.	**Disability caused due to**	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	**Multiple Disabilities including Deaf Blindness**		More than one of the above specified disabilities

- **Conclusion:** He/ She is **Eligible/ Not Eligible** for admission in Medical/ Dental courses as per the MCI Gazette Notification subject to his being otherwise medically fit.
- Functional competency with the aid of **Assistive devices** in case of **Locomotor*/ Visual*/ Hearing* Impairment**, if any ______________

Sign & Name______________
(Concerned Specialist)

Sign & Name______________
(Concerned Specialist)

Sign & Name______________
(Concerned Specialist)

सलग्नक – 03

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक { UP ES }
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमांन्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या– .... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... निवासी .... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय .... सेना में अधिवर्षता आयुपूर्ण कर दिनांक .... को सेवानिवृत्त हुए हैं या थे/भारतीय सेना की सक्रिय सेना काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री .... भारतीय .... सेना की यूनिट .... में नियुक्त थे।

दिनांक –................................ सेना की संबन्धित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .... दिनांक ....

दिनांक ....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0 .... निवासी .... उपरोक्त श्री .... के पुत्र/पुत्री है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल/नभ/जल जो उपयुक्त, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

सलग्नक – 04

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020

प्रमाण पत्र
{ UP FF }

संख्या– .... दिनांक : ....

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ...., ग्राम ...., तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान : ....
दिनांक : ....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर : ....
पूरा नाम : ....
पद नाम : ....
मोहर : ....

जिलाधिकारी
(सील)

संलग्नक – 05

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
3. जाट
4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी–सैंथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल
5. गिरी
6. गूजर
7. गोसाई
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत
9. कम्बोज
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य
12. कहार, कश्यप
13. केवट, मल्लाह, निषाद
14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कूजड़ा या राईन
19. गड़ेरिया, पाल, बघेल
20. गद्दी, घोसी
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22. छीपी, छीपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28. दर्जी, इदरीशी, काकुत्स्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांदू, कशौधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
45. लोहार, लोहार–सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर, लोनिया–चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54. कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानबाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा / कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाड़ा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलवार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
78. मिरासी
79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)

अनुसूचित जातियों की सूची

1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   2. बधिक   3. बादी
4. बहेलिया   5. बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   6. बैसवार
7. बजनिया   8. बाजगी   9. बलहार
10. बलाई   11. बाल्मीकि   12. बंगाली
13. बनमानुश   14. बांसफोड़   15. बरवार
16. बसोड़   17. बावरिया   18. बेलदार
19. बेरिया   20. भंतु   21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)
22. भुईयार   23. बोरिया   24. चमार, झुसिया, धुसिया, जाटव
25. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर)   26. दबगर   27. धनगर
28. धानुक   29. धरकार   30. धोबी
31. डोम   32. डोमर   33. दुसाध
34. घरामी   35. घसिया
36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर)
37. ग्वाल   38. हबूड़ा   39. हरी
40. हेला   41. कलाबाज   42. कंजर
43. कपड़िया   44. करवल   45. खराहा
46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)   47. खटीक
48. खोरोट   49. कोल   50. कोरी
51. कोरवा   52. लालबेगी   53. मझवार
54. मजहबी   55. मुसहर   56. नट
57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर)
58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   59. पासी, तरमाली
60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   61. रावत
62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर)   63. सिनोरिया   64. सांसिया
65. शिल्पकार   66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू   2. बुक्सा   3. भोटिया   4. राजी   5. जन्नासरी/जौनसारी
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चैरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

नोट:– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।

संलग्नक – 06

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

------------------------------ COURSE ------------------------ SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ------------------------ ON THIS DAY OF ---------------------------

BETWEEN

NAME --

S/O, D/O, W/O ---

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) ---

(TEMPORARY ADDRESS) :---

MOBILE NO.: --

E-Mail id.: --

AADHAR No. :---

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ---------------- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the ---------------- course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ------------- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ------------ course his/her certificates relating to ----------------- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.--------------- - (Rupees ---------------------------------) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ---------------- -- employed as --------------- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from --------- ----in order to enable his/her to study at ------------------------------------ college.

AND WHERE AS if the FIRST PLARTY --- work s for a period of less than 24 months during the --------------------------------- Super specialty course DM/MCH/--------------- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY -------

-- shall pay back in addition to the security amount of Rs...................................(Rupees-----------------------------------only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLWOS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the -------------------- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. -------------------(Rupees ------------------------------only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. -------------------------- (Rupees -----------------------------) only is paid the certificates relating to ------------------- Super specialty course DM/MCH/----------------Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of

FIRST PARTY

(   )

For and behalf of

Governor

(   )

Witnesses : -